सं0 I/ /2025–ई0 82096/2025

प्रेषक,

डी0एम0एम0राणा,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक जनवरी, 2025

विषय :– 38 वें राष्ट्रीय खेलों के सम्पादन हेतु 04 पेयजल/सीवरेज योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र सं0 5906/टी0ए0सी0/2024–25 दिनांक 07 जनवरी, 2025 एवं पत्र सं0 5914/टी0ए0सी0/2024–25 दिनांक 07 जनवरी, 2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रस्तावित 38 वें राष्ट्रीय खेलों के दृष्टिगत उत्तराखण्ड जल संस्थान की **संलग्नक–1** में वर्णित कुल 04 योजनाओं हेतु गठित आंगणनों की विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरांत औचित्यपूर्ण पायी गयी लागत रू0 315.56 लाख में से सेंटेज की धनराशि रू0 30.17 लाख को कम करते हुए रू0 285.39 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रथम किश्त के रूप में रू0 189.27 लाख (रू0 एक करोड नवासी लाख सत्ताईस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके किया जायेगा।

(ii) योजनाओं हेतु स्वीकृत लागत के सापेक्ष निविदा उपरांत सफल निविदादाता से किए गये अनुबन्धानुसार वास्तविक व्यय के आधार पर धनराशि व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत लागत के सापेक्ष व्यय के फलस्वरूप यदि धनराशि अवशेष बचती है तो अवशेष बचत की धनराशि को राजकोष में जमा किया जायेगा।

(iii) स्वीकृत की जा रही योजनाओं को प्रत्येक दशा में 38 वें राष्ट्रीय खेलों के प्रारम्भ होने से पूर्व पूर्ण कर लिया जायेगा।

(iv) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2025 तक पूर्ण व्यय कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(v) कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिडयूल आफ रेटस में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

(vi) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

(vii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृति धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाय। उक्त प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष कार्य की निविदा उपरांत सफल निविदादाता से किए गये अनुबन्धानुसार वास्तविक व्यय के आधार पर धनराशि व्यय की जायेगी तथा अवशेष बचत धनराशि को राजकोष में जमा किया जायेगा।

(viii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को कराना सुनिश्चित करें।

(ix) निर्माण कार्यों को निर्धारित समय व स्वीकृत लागत में पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए, जिस हेतु निर्माण की प्राथमिकता और समय सारणी इस प्रकार तैयार की जाए कि निर्माण हेतु उपयुक्त माहों/सीजन का पूर्ण लाभ लिया जा सके और पूर्ण होने वाले कार्य शीघ्र पूर्ण होकर उपयोग में लाये जा सकें।

(x) कार्य कराने से पूर्व उच्च अधिकारियों एवं भू–गर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से स्थल का भली भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

(xi) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। स्वीकृत आंगणन में प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व समक्ष अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर जी जाए।

(xii) उक्त योजना के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, वित्त नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–05 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनअुल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(xiii) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

(xiv) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड के शासनादेश सं0 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

(xv) योजना के आंगणन में सम्मिलित की जा रही GST देयता में प्राविधानित मदों की धनराशि पर वास्तविक एवं नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जाए।

(xvi) योजनाओं की प्राविधिक स्वीकृति हेतु शासनादेश सं0 14910/XXIV(7)E-20109/2022 दिनांक 25 अगस्त, 2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(xvii) यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत योजना में प्रस्तावित कार्य किसी अन्य कार्यक्रम/योजना में सम्मिलित नहीं हों।

(xviii) योजना के अन्तर्गत समस्त घटको/संरचनाओं की जी0आई0एस0 मैपिंग अवश्य सुनिश्चित की जायेगी।

(xix) योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एवं कार्यों को कराये जाने की सशर्त अनुमति सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के पत्र सं0 3207/रा0नि0आ0–3/4271/2024 दिनांक 09 जनवरी, 2025 एवं पत्र सं0 3238/रा0नि0आ0–3/4271/2024 दिनांक 10 जनवरी, 2025 के क्रम में प्रदान की जा रही है साथ ही सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के पत्र सं0 3064/रा0 नि0आ0–3/4271/2024 दिनांक 04 जनवरी, 2025 (छायाप्रति संलग्न) में प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

2– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय संलग्नक–1 में वर्णित योजनाओं के सम्मुख स्तम्भ–3 में उल्लिखित अनुदान संख्या–13 के सुसंगत लेखाशीर्षकों के नामें डाला जायेगा।

3– धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन आई0डी0 संलग्न से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या I/201358/09(150)2019/XXVII(1)2024 दिनांक 22.03.2024 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– यह आदेश वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटर जनित संख्या I/267503/2024 दिनांक 10 जनवरी, 2025 में प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में जारी किये जा रहें है।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीय,

Signed by
Dhruve Mohan Singh Rana
Date: 14-01-2025 13:59:10

(डी0एम0एस0राणा)
संयुक्त सचिव।

पृ0सं0–82096/(1)/2025, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।

5. बजट निदेशालय, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
8. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

Signed by
Vivek Kumar Jain
Date: 14-01-2025 14:03:21

(विवेक कुमार जैन)
उप सचिव।

संलग्नक–1

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	योजना का नाम	अनुदान सं0 एवं लेखाशीर्षक	टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत लागत	सेंटेज को कम करते हुए लागत	अवमुक्त धनराशि/ प्रथम किश्त
1	2	3	4	5	6
01	जनपद टिहरी की नई टिहरी शाखा के अन्तर्गत 38 वें राष्ट्रीय खेलों हेतु कोटी कॉलोनी में पेयजल की व्यवस्था की योजना।	**अनुदान संख्या–13 लेखाशीर्षक**–4215–01–101–03–01–नगरीय पेयजल/जलोत्सारण योजनाओं का निर्माण–53–वृहत् निर्माण मद	23.09	20.93	20.93
02	जनपद हरिद्वार में 38 वें राष्ट्रीय खेलों के सम्पादन हेतु सेसपूल सक्शन वाहन एवं सुपरवाइजर को किराये पर लिए जाने की योजना।		26.74	24.18	24.18
03	जनपद देहरादून की रायपुर शाखा के अन्तर्गत 38 वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु महाराणा प्रताप स्टेडियम एवं राजीव गांधी अन्तरराष्ट्रीय किकेट स्टेडियम में खेल के दौरान सुचारू पेयजल की व्यवस्था की योजना।		106.27	96.09	57.65 (60%)
04	जनपद नैनीताल की हल्द्वानी शाखा के अन्तर्गत 38 वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु इन्दिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय स्टेडियम गौलापार हल्द्वानी में पेयजल की आपूर्ति की योजना (ग्रामीण)	**अनुदान संख्या–13 लेखाशीर्षक**–4215–01–102–03–ग्रामीण पेयजल योजनाओं का निर्माण–00–53–वृहत् निर्माण कार्य	159.46	144.19	86.51 (60%)
कुल योग			315.56	285.39	189.27